7/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रार्थना पत्र 14(4) 03/17 तारीख रजू– 06/01/17

1–पूरण पुत्र रंगलाल उम्र 50 साल जाति जाटव निवासी ग्राम फुलवाड़ा तहसील वजीरपुर
2–बाबूलाल पुत्र रंगलाल उम्र 40 साल जाति जाटव निवासी फुलवाड़ा तहसील वजीरपुर।
———प्रार्थी

बनाम

1–जगदीश पुत्र फेली उम्र 55 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम फुलवाड़ा तहसील वजीरपुर।
———अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 15-12-17

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14(4) एल0आर0एक्ट के अर्न्तगत प्रस्तुत कर आंवटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 22/06/1999 को ग्राम फुलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 400 रकबा 0.41 है0 भूमि आंवटन की गई थी। उक्त आंवटन के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही आंवटन आदेश 22/06/1999 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । अप्रार्थी बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि आवंटी के नाम गलत एवं निराधार तरीके से आवंटन हुआ है जो निरस्त योग्य है। आवंटन के समय आवंटी अप्रार्थी भूमि हीन व्यक्ति नहीं था। आवंटन के समय आवंटी के पास स्वयं की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खं0नं0 401 रकबा 0.42 है0, खं0नं0 402 रकबा 0. 03 है0, खं0नं0 403 रकबा 0.36 है0, खं0नं0 2119 रकबा 0.15 है0, खं0नं0 2120 रकबा 0.15 है0, खं0नं0 2128 रकबा 0.15 है0, खं0नं0 2500/333 रकबा 1.25 है0 भूमि है। अप्रार्थी नें दिनांक 23/06/2002 को भूमि खं0नं0 332 रकबा 0.72 है0 व खं0नं0 333 रकबा 0.13 है0 आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसे आवंटन समिति द्वारा भूमि हीन न होने के कारण दिनांक 24/06/02 को प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। उक्त आवंटित भूमि खं0नं0 400 रकबा 0.41 है0 पर आवंटी को कोई कब्जा काश्त नहीं था। इस भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर में 188 का दावा किया तब प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी प्राप्त हुई एवं प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय हाजा में पेश किया गया, साथ ही लोक अदालत में अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवा लिया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 22/06/1999 निरस्त करने का निवेदन वकील प्रार्थी ने किया है।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि प्रार्थीगण के वकील ने दौराने बहस अवगत कराया कि आवंटन के समय अप्रार्थी भूमि हीन व्यक्ति नहीं था। आवंटी के पास स्वयं की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खं0नं0 401 रकबा 0.42 है0, खं0नं0 402 रकबा 0.03 है0, खं0नं0 403 रकबा 0.36 है0, खं0नं0 2119 रकबा 0.15 है0, खं0नं0 2120 रकबा 0.15 है0, खं0नं0 2128 रकबा 0.15 है0, खं0नं0 2500/333 रकबा 1.25 है0 भूमि थी। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया,जिससे स्पष्ट हो सके कि आंवटी के पास आवंटन के समय उक्त भूमि उपलब्ध थीं। प्रार्थी पक्ष की और से उक्त भूमि के संबंध में एक जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 की प्रस्तुत की गई है। उक्त जमाबन्दी आवंटन के लगभग 14 वर्ष पश्चात् की है, साथ ही अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट ली गई, साथ ही आवंटन सलाहकार समिति के तीन सदस्यों की भी सिफारिश के पश्चात् ही उक्त भूमि का आवंटन किया गया है, आवंटी को उक्त भूमि पर कब्जा पटवारी हल्का द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक व दो गवाहों के समक्ष दिया गया है। अतः मेरे अभिमत में प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उक्त विवेचना के परिपेक्ष में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अस्वीकार कर आवंटी जगदीश पुत्र फैली के पक्ष में दिनांक 22/06/1999 को ग्राम फुलवाड़ा की आराजी खं0नं0 400 रकबा 0.41 है0 भूमि का किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.17 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर